

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2016 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

2015-16 के दौरान ₹ 47,556.55 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) तक बढ़ गईं। ₹ 30,929.09 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नि.वि.) (₹ 33,249 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 38,049 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्यों के क्रमशः 6.98 प्रतिशत तथा 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2015-16 के लिए कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,111 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के 15.60 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नि.वि. (₹ 6,885 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण के 30.98 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,010 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

राजस्व व्यय 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ से 21 प्रतिशत तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया तथा चौ.वि.आ. (₹ 44,514 करोड़) के मानकीय निर्धारण से अधिक था किंतु म.अ.रा.नि.वि. (₹ 61,869.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था। नान-प्लान घटक (₹ 40,675 करोड़) राजस्व व्यय का 69 प्रतिशत था जो मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 43,208.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा सबसिडियों ने गैर-योजनागत राजस्व व्यय का 82 प्रतिशत संघटित किया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड़), 2014-15 से 19.57 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 7,582 करोड़) से उच्चतर था परंतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 8,564 करोड़) के भीतर था।

दो विभागों के 18 प्रोजेक्ट्स, जो मई 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी भी अधूरे थे (जून 2016)। अधूरे प्रोजेक्ट्स के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8.64 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2015-16 के दौरान ₹ 1,902.21 करोड़ के कुल निवेशों में से ₹ 1,794.54 करोड़ विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किए गए थे।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2016 को ₹ 1,20,718 करोड़ थी। इसमें से आंतरिक ऋण ₹ 99,660 करोड़ था। राजकोषीय देयताएं, स.रा.घ.उ. का 24.50 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा थी।

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ तथा ₹ 5,658 करोड़ था, 2015-16 में बढ़कर क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ हो गया।

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2015-16 के दौरान, ₹ 1,11,559.26 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 95,480.50 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 16,078.76 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,493 करोड़ की बचत तथा चार अनुदानों में ₹ 1,414.24 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2014-15 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,427.57 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

51 मामलों में, ₹ 17,091.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। 21 मामलों में, ₹ 8,521.13 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 8,840.80 करोड़ वापस किए गए थे परिणामस्वरूप वास्तविक बचतों से अधिक सरेंडर (₹ 319.70 करोड़) हुआ। आगे, 20 मामलों में ₹ 7,199.13 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,302.40 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को इंगित करते हुए 11 अनुदानों के अंतर्गत 14 मुख्य शीर्षों में ₹ 7,408.71 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2016 के माह के दौरान किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2015-16 के दौरान ₹ 42,743 करोड़ की अनुमानित राशि के विरुद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 25,185 करोड़ (58.52 प्रतिशत) था। ₹ 386.74 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 32 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया था। 74 स्कीमों में ₹ 1,813.56 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध ₹ 1,030.52 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय - 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 6,267.34 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,313 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2016 को बकाया थे। 83 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 202 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2016 को बकाया थे। 29 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से दो ने गत पांच वर्षों से अधिक समय से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.33 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 105 मामले सूचित किए जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 93 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2015-16 के दौरान कुल व्यय का 22.34 प्रतिशत वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।